आदेश की सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई का के वारे में टिप्पणी ह तारीख
10.10.2020	<u>न्यायालय, जिला दण्डाधिकारी एवं समाहर्त्ता, पूर्णिया</u> **<u>सी0सी0ए0 वाद संख्या-55/2020</u>** **अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा-3 के अंतर्गत** **राज्य** **बनाम** **दीपांकर झा, पिता-सुभांकर झा, सा0-रिफ्यूजी कॉलोनी, थाना-के0 नगर, जिला-पूर्णिया** **<u>आदेश</u>** अभिलेख उपस्थापित। प्रस्तुत वाद **पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया** के **5947/सी0आर0, दिनांक 26.09.2020 के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के आलोक** में अपराधकर्मी **दीपांकर झा, पिता-सुभांकर झा, सा0-रिफ्यूजी कॉलोनी, थाना-के0 नगर, जिला-पूर्णिया** के विरूद्ध अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा-3 के तहत निरूद्ध करने के संबंध में प्रारंभ की गई है। पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया के उक्त प्रतिवेदन में उल्लेखित है कि अपराधकर्मी **दीपांकर झा, पिता-सुभांकर झा, सा0-रिफ्यूजी कॉलोनी, थाना-के0 नगर, जिला-पूर्णिया** एक मुख्यात एवं आदतन अपराधकर्मी है तथा इसका एक संगठित गिरोह है। वर्त्तमान में ये जेल से बाहर हैं। इसकी गतिविधि काफी संदिग्ध है। इससे आगामी विधान सभा चुनाव 2020 के अवसर के दौरान शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। **इसका अपराधिक इतिहास निम्न प्रकार है :-** 1. **के0 नगर थाना कांड संख्या-280/2018 दिनांक-19.07.2018, धारा-394 भा0द0वि0** 2. **के0 नगर थाना काण्ड संख्या-310/2018 दिनांक-30.08.2018, धारा-394 भा0द0वि0** 3. **के0 हाट (मधुबनी) थाना काण्ड संख्या-109/2019 दिनांक-22.02.2019, धारा-341, 323, 325, 307, 34 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट।**	

4. सदर (मुफ्फसिल) थाना काण्ड संख्या-112/2019 दिनांक-25.02.2019, धारा-307, 399, 402 भा0द0वि0 एवं 25(1-बी)ए/26/35/27 आर्म्स एक्ट।
5. के0 नगर थाना सनहा संख्या-320/2020 दिनांक-12.09.2020
6. के0 नगर थाना सनहा संख्या-437/2020 दिनांक-18.09.2020

इस वाद में विपक्षी द्वारा समर्पित कारणपृच्छा दिनांक 10.10.2020 का अवलोकन किया। उनका मुख्य रूप से कथन है कि के0 नगर थाना काण्ड सं0-280/2018 एवं 310/2018 साक्ष्य / गवाही हेतु न्यायालय में लंबित है। के0 हाट (मधुबनी) थाना काण्ड सं0-109/2019 एवं सदर मुफ्फसिल थाना काण्ड सं0-112/2019 में वे जमानत पर हैं। सनहा के बारे में विपक्षी अनभिज्ञ हैं। विपक्षी बिल्कुल निर्दोष हैं एवं झूठा फंसाया गया है।

विपक्षी के आपराधिक घटनाओं के विश्लेषण के आधार पर मै संतुष्ट हूँ कि बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 2(डी)(1) के अंतर्गत ये **"असामाजिक तत्व"** है तथा इनकी गतिविधि संदिग्ध है। ऐसे तथ्य उपलब्ध है जिससे विश्वास होता है कि ये ऐसे कार्य में लिप्त है या लिप्त हो सकते है, जो भारतीय दंड विधान 1861 के अध्याय XVI या अध्याय XVII के अंतर्गत दंडनीय अपराध है, जिन पर नियंत्रण करना प्रशासनिक एवं जनहित में नितांत आवश्यक है।

अतएव उल्लेखित तथ्यों के आधार पर **दीपांकर झा, पिता-सुभांकर झा, सा0-रिफ्यूजी कॉलोनी, थाना-के0 नगर, जिला-पूर्णिया** को बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा-3 की उप धारा-3 के अंतर्गत आदेश निर्गत होने की तिथि से बिहार विधानसभा निर्वाचन 2020 की मतगणना तिथि तक प्रत्येक सप्ताह **सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार** को **थाना-रौटा** अंतर्गत उपस्थिति दर्ज कराने का आदेश दिया जाता है।

उक्त अपराधकर्मी को आदेश का तामिला **थानाध्यक्ष, के0 नगर** द्वारा कराया जाएगा।

थानाध्यक्ष, रौटा को निदेश दिया जाता है कि वे अपने थाना में अपराधकर्मी **दीपांकर झा, पिता-सुभांकर झा, सा0-रिफ्यूजी कॉलोनी, थाना-के0 नगर, जिला-पूर्णिया** के लिए एक उपस्थिति पंजी खोलकर उसमें प्रत्येक निर्धारित दिवस में उक्त अपराधकर्मी का उपस्थिति दर्ज करवायेंगें

तथा प्रतिवेदन **पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया** को भेजना सुनिश्चित करेगें।

बिहार विधान सभा निर्वाचन 2020 अंतर्गत अपने मताधिकार का उपयोग करने हेतु विपक्षी मतदान की तिथि से कम से कम एक दिन पूर्व निर्धारित मतदान केन्द्र पर आने-जाने का रूट चार्ट **थानाध्यक्ष, के० नगर** को प्रस्तुत कर अनुमति प्राप्त करेंगे तथा मतदान की तिथि को निर्धारित मतदान केन्द्र पर अपने मत का प्रयोग कर उसी रूट चार्ट के अनुसार पुनः वापस आएंगे। इस अवधि में **थानाध्यक्ष, के० नगर** अपराधकर्मी पर निगरानी रखेंगे।

आदेश की प्रति **अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, बायसी / सदर तथा पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया** को भेजें। साथ ही आदेश की प्रति **जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, पूर्णिया** को भी आम जनता में प्रचार प्रसार हेतु भेजे एवं एक प्रति पूर्णिया जिला के **बेबसाईट** पर प्रकाशन हेतु **जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, पूर्णिया** को भेजें।

10/10/20

जिला दण्डाधिकारी,
पूर्णिया।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दण्डाधिकारी,
पूर्णिया।

ज्ञापांक 2618 / विधि, पूर्णियाँ दिनांक 12.10.20।

प्रतिलिपि :- थानाध्यक्ष, रौटा / के० नगर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अनुमंडल पुलिस पदा० बायसी / सदर / जिला जनसम्पर्क पदा० / जिला सूचना एवं विज्ञान पदा० पूर्णिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

12/10/20

वरीय उपसमाहर्त्ता
जिला विधि शाखा
पूर्णियाँ
12/10/20